



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

27 दिसंबर 2021

**राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी (संशोधित)**

निम्नलिखित राज्य सरकारों ने नीलामी के माध्यम से कुल **₹25,234 करोड़** (अंकित मूल्य) की राशि के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव किया है। यह संशोधन आंध्र प्रदेश को शामिल करने से हुआ है।

क्रम संख्या	राज्य/यूटी	जुटाई जाने वाली राशि (₹ करोड़)	अतिरिक्त उधार (ग्रीन शू) विकल्प (₹ करोड़)	अवधि (वर्ष)	नीलामी का प्रकार
1	आंध्र प्रदेश	250	-	14	प्रतिफल
		1000	-	19	प्रतिफल
		1000	-	20	प्रतिफल
2	असम	600	-	5	प्रतिफल
		600	-	10	प्रतिफल
3	गोवा	100	-	10	प्रतिफल
4	हिमाचल प्रदेश	500	-	10	प्रतिफल
		500	-	12	प्रतिफल
5	जम्मू और कश्मीर	800	-	15	प्रतिफल
6	कर्नाटक	2000	-	10	प्रतिफल
		2000	-	13	प्रतिफल
7	केरल	1000	-	14	प्रतिफल
8	मणिपुर	90	-	10	प्रतिफल
9	पुदुचेरी	125	100	8.5	प्रतिफल
10	पंजाब	1000	-	12	प्रतिफल
		1500	-	15	प्रतिफल
11	राजस्थान	669	-	5	प्रतिफल
		1500	-	10	प्रतिफल
12	तमिलनाडु	1000	-	10	प्रतिफल
13	तेलंगाना	2000	-	12	प्रतिफल
14	उत्तर प्रदेश	2500	-	10	प्रतिफल
15	उत्तराखंड	500	-	10	प्रतिफल
16	पश्चिम बंगाल	4000	-	15	प्रतिफल
	कुल	<b>25234</b>			

यह नीलामी **28 दिसंबर 2021 (मंगलवार)** को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 10 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक का आबंटन पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को [गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी सुविधा योजना](#) के अनुसार प्रति स्टॉक एकल बोली के लिए उसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम 1 प्रतिशत की सीमा तक किया जाएगा।

इस नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी, दोनों बोलियां **28 दिसंबर 2021 (मंगलवार)** को भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। [गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे और 11.00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।](#)

व्यक्तिगत निवेशक भी रीटेल डायरेक्ट पोर्टल (<https://rbiretaildirect.org.in>) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोली लगा सकते हैं।

तकनीकी कठिनाइयां होने पर, कोर बैंकिंग परिचालन टीम (ईमेल; फोन नंबर: 022-27595666, 022-27595415, 022-27523516) से संपर्क किया जा सकता है।

नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी। ऐसी भौतिक बोलियों को लोक ऋण कार्यालय (ईमेल; फोन नंबर: 022-22632527, 022-22701299) को आरबीआई की वेबसाइट ([https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_ViewForms.aspx](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewForms.aspx)) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में नीलामी समय समाप्त होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

बोलीकर्ता द्वारा प्रत्याशित प्रति वर्ष प्रतिलाभ प्रतिशत दो दशमलव अंकों तक प्रस्तुत किया जाए। निवेशक प्रतिफल अथवा मूल्य के समान / विभिन्न दरों पर एक से अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बोलियों की सकल राशि प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकतम प्रतिफल/न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर बोलियां स्वीकृत की जाएंगी। प्रतिभूतियां ₹10,000 की न्यूनतम सांकेतिक राशि तथा उसके बाद ₹10,000 के गुणजों में जारी की जाएंगी।

इस नीलामी के परिणाम **28 दिसंबर 2021 (मंगलवार)** को घोषित किए जाएंगे और सफल बोलीकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में **29 दिसंबर 2021 (बुधवार)** को बैंकिंग कामकाज के समय भुगतान करना होगा।

सभी राज्य सरकारी स्टॉकों पर ब्याज नीलामियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर लागू होगा। नई प्रतिभूतियों के लिए ब्याज का भुगतान परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष 29 जून और 29 दिसंबर को छमाही आधार पर किया जाएगा। ये स्टॉक सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे।

राज्य सरकार स्टॉक में निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के प्रयोजन के लिए बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा। ये स्टॉक हाजिर वायदा सुविधा के लिए पात्र होंगे।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1427

अजीत प्रसाद  
निदेशक (संचार)